


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज भीकम सिंह बनाम लोक सूचना अधि० (जिला रसद अधिकारी धौलपुर) प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु०संख्या 24 / 2022) (जीसीएमएस न० 2022 / 44)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये</p>
<p>01-08-2022</p>	<p>अपीलान्त अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्त की यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प्रथम अपील संख्या 22/2022 दिनांक 23.06.2022 से इस कार्यालय को दिनांक 05.07.2022 को प्राप्त हुई है। अपीलान्त द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक: रसद/सू.अ./2022/4007 दिनांक 01.08.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना, अपीलार्थी श्री भीकमसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह निवासी चोरपुरा ममोधन तहसील बसेडी जिला धौलपुर को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2022/4005 दिनांक 01.08.2022 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से भिजवाई जा चुकी है जिसके पत्र की प्रति पेश की है।</p> <p>अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई बांछित सूचना अपीलान्त को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2022/4005 दिनांक 01.08.2022 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से भिजवाई जा चुकी है। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्त इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्त को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।</p> <p style="text-align: right;">  (अनिल कुमार अग्रवाल) जिला कलक्टर धौलपुर </p>	